न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्रसिंह, R.A.S.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	आदेश तिथि
02/2016	इस्तगासा 145,145 CRPC	16.09.2016	10.02.2025

सरकार बनाम पार्टी संख्या–1 – 1. महेशकुमार पुत्र रामगोपाल जाति ब्राह्मण नि. वार्ड नं.43, चूरू पुलिस थाना कोतवाली, चूरू

पार्टी संख्या–2 – 1. महताबसिंह पुत्र बल्लुराम जाति जाट नि. भाकरां पुलिस थाना हमीरवास हाल कोहिणा पुलिस थाना भालेरी
2. कुम्भाराम पुत्र बल्लुराम जाति जाट नि. भाकरां पुलिस थाना हमीरवास हाल कोहिणा पुलिस थाना भालेरी
3. सुभाषचन्द्र पुत्र बल्लुराम जाति जाट नि. भाकरां पुलिस थाना हमीरवास हाल चूरू

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ पार्टी सं. 1
2. अधिवक्ता श्री विनोद दनेवा पार्टी सं. 2

निर्णय

थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चूरू की ओर से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145, 146 दण्ड प्रकिया संहिता का मय मौका नक्शा बाबत अग्रसेन नगर चूरू के पास रामसरा रोड़ पर स्थित खसरा नम्बर 1023 वाके रोही कस्बा चूरू के कब्जा व सीमांकन ज्ञान को लेकर पक्षकारान में कभी भी झगड़ा व खून खराबा होकर शान्ति व्यवस्था भंग होने बाबत पेश किया था जिस पर न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा व जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्राईमाफेसाई रूप से शान्ति व्यवस्था भंग होना प्रतीत होने पर इस्तगासा के मौका नक्शा में दर्शायी गयी भूमि को कुर्क कर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चूरू को रिसीवर नियुक्त कर मौके पर जाकर उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर कुर्की अधिपत्र को पृष्ठांकन से प्रमाणित करते हुए पालना रिपोर्ट पेश करने एवं रिसीवर के समस्त कार्य अंजाम देने का आदेश पारित किया गया तथा इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 16.09.2016 को प्रारम्भिक आदेश जारी कर दोनों पक्षकारान से अपने–अपने कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य सबूत पेश करने का नोटिस दिया गया जिसकी अनुपालना में पार्टी सं. 1 व पार्टी सं. 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में पेश हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा गया। पत्रावली काफी समय तक पक्षकारान के जवाब में लम्बित रही।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रट
चूरू

प्रार्थिनी इन्द्रावती की ओर से दिनांक 21.03.2018 को अधिवक्ता श्री मोहम्मद इदरीश ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का मय वकालतनामा पेश किया। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि कुर्कशुदा ख.नं. 1023 की भूमि के पास प्रार्थिया की खरीदशुदा शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 1012 की 46 बीघा 5 विश्वा में से 1/2 भाग स्थित है जिसमें एक कुंआ व एक कमरा रहने के लिए बना रखा है। इस भूमि में आने जाने के लिए कुर्कशुदा भूमि में से वर्षों से चले आ रहे रास्ता का उपयोग करती आ रही है। ख.नं. 1013 व सड़क (रास्ता) की भूमि को ख.नं. 1023 मानकर श्रीमान् जी द्वारा कुर्की व रिसीवर के आदेश देकर थानाधिकारी सदर चूरू को रिसीवर कर रखा है जिससे प्रार्थिया को उक्त शामलाती खाते की कृषि भूमि में वर्षों से अले आ रहे रास्ते से आने जाने में परेशानी का समना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थिया का हित प्रभावित हो रहा है। इसलिये परिवाद में वह आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थिया के पक्षकार न बनने से प्रार्थिया के हक हकूक एवं अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को प्रतिवादी संख्या 3 बनाये जाने एवं प्रकरण में भाग लेकर अपना पक्ष रखने की अनुमति प्रदान करें। पार्टी सं. 1 की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया।

पार्टी सं. 1 ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 व 2 में अंकित विवादित भूमि को कुर्क करने एवं कुल चार खसरों की कृषि भूमियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज होने के तथ्यों से इन्कार नहीं है परन्तु शेष बातें गलत व मिथ्या दर्ज की गई हैं। ख.नं. 1023 के पास ख.नं. 1024 की कृषि भूमि अवस्थित है तथा उसके पश्चात् ख.नं. 1013 व 1012 की कृषि भूमियां अवस्थित हैं। इसलिए प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र का गलत आधार तैयार करने के क्रम में तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज करवाये हैं। सही तथ्य यह है कि पार्टी सं. 2 द्वारा पार्टी सं. 1 व उसके परिवारजनों की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 1023 के बाबत गलत प्रयास कर कब्जा करने का प्रयास के कारण शान्ति भंग होने की स्थिति पैदा हो जाने पर थाना पुलिस सदर चूरू द्वारा सही इस्तगासा श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश किया गया था तथा न्यायालय द्वारा विवादित भूमि बिल्कुल सही रूप से कुर्क की गई है। प्रार्थिनी का इस्तगासा में वर्णित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र पार्टी सं. 2 के प्रभाव में आकर गलत रूप से पेश किया है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात् पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र की बहस में काफी समय तक लम्बित रही परन्तु प्रार्थिनी की ओर से उसके अधिवक्ता बहस हेतु समय लेते रहे। इसी दौरान दिनांक 20.09.2024 को पार्टी सं. 2 की ओर से श्री विनोद दनेवा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं पार्टी सं. 1 व 2 की ओर से संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली 21.10.2024 की पेशी में सुनवाई के लिये नियत है। उक्त प्रकरण में पक्षकारान पार्टी 1 व 2 का आपस में बाहमी राजीनामा हो गया है जिसके लिए राजीनामा पेश किया जा रहा है। अतः पत्रावली को आज की पेशी में लिया जाकर [illegible] तस्दीक फरमाया जाकर प्रकरण की कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जावे। [illegible] के आधार पर पत्रावली पेशी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

ली गई जिस पर पार्टी सं. 1 व 2 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दोनों पक्षों की ओर पेश राजीनामा में अंकित किया कि खेत ख.नं. 1023 वाके रोही कस्ब चूरू की तादादी में से ख.नं. 1024 के चिपते कुर्कशुदा कृषि भूमि उतरी भाग 100 फुट दक्षिणी भाग 76 फुट तथा पूर्वी भाग 530 फुट व पश्चिमी भाग 527 फुट कृषि भूमि जो अन्तर्गत धारा 146 सी.आर.पी.सी. न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा दिनांक 16.09.2016 को कुर्की आदेश बहक कब्जा रिसीवर थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू को नियुक्त किया गया है जिसकी पालना में बतौर रिसीवर दिनांक 20.10.2016 को उक्त लिखे क्षेत्रफल की कृषि भूमि का कब्जा बहक रिसीवर लिया गया। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में रिसीवर थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू के दखल व कब्जे में है। पार्टी सं. 1 व पार्टी सं. 2 के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा में कुर्कशुदा कृषि भूमि ख.नं. 1023 का भाग राजस्व अभिलेख में पार्टी नं. 1 महेशकुमार, ललितकुमार वगैरा के खातेदारी की है। ऐसी स्थिति में पार्टी सं. 1 महेशकुमार व पार्टी सं. 2 ने राजीनामा में यह तय किया है कि कुर्कशुदा भूमि व कब्जा पार्टी नं. 1 के कब्जा व खातेदारी की है, इसमें पार्टी सं. 2 का कोई कब्जा व खातेदारी हक नहीं है। ऐसी स्थिति में रिसीवर से बागुजार की जाकर कुर्कशुदा भूमि का कब्जा पार्टी सं. 1 महेशकुमार, ललितकुमार वगैरा को प्रदान किया जावे। इस कुर्कशुदा भूमि बाबत कोई विवाद नहीं रहा है। ऐसी सूरत में कुर्कशुदा कृषि भूमि को रिसीवर से मुक्त किया जावे तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू को आदेशित किया जावे कि कुर्कशुदा भूमि का कब्जा पार्टी सं. 1 को दिया जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामे के अनुसार धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही ड्रॉप फरमाते हुए कुर्कशुदा भूमि को कुर्की से मुक्त की जाकर कब्जा पार्टी नं. 1 को प्रदान किया जावे।

राजीनामा पेश होने पर राजीनामा दोनों पार्टियों को व उनके अधिवक्ताओं को पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझकर दोनों पार्टियों ने सही होना बताया जिस पर पार्टी सं. 1 की ओर से महेशकुमार ने हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान अधिवक्ता सुरेन्द्र राहड़ ने की व पार्टी सं. 2 की ओर से सुभाषचन्द्र ने हस्ताक्षर किये जिसकी पहचान अधिवक्ता विनोद दनेवा की। शेष पक्षकार पार्टी सं. 2 की ओर से हस्ताक्षर अधिवक्ता विनोद दनेवा ने किये। दोनों पार्टियों द्वारा राजीनामा सही होने पर तस्दीक किया गया। राजीनामा तस्दीक होने पर न्यायालय द्वारा विवादित कृषि भूमि के रिसीवर थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू को जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू द्वारा दिनांक 18.12.2024 को जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अंकित आया कि दौराने जांच श्रीमती कविता हैडकानिस्टेबल 2011 ने पार्टी सं. 1 श्री महेशकुमार, पार्टी सं. 2 श्री सुभाषचन्द्र, श्री महताबसिंह से जांच कर बयान लेखबद्ध किये गये व गोपनीय रूप से मालूमात किया गया तो पाया गया कि उक्त विवादित खसरा के सम्बन्ध में दोनों पार्टियों का आपस में राजीनामा हो चुका है। उक्त विवादित खसरा के लिये दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है ना ही उक्त विवादित खसरा के कब्जे को लेकर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

विवाद रहा है। उक्त विवादित खसरा पर दोनों पक्षों द्वारा कानून व शान्ति व्यवस्था कायम है। इस विवादित खसरा को लेकर कोई कानून व शान्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं है।

थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू की जांच रिपोर्ट पेश होने पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं राजीनामा पर बहस सुनी गई। पार्टी सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थिनी इन्द्रावती की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू की जमाबन्दी खाता सं. 438, नामान्तरकरण सं. 3864 दिनांक 03.07.2022, पटवारी हल्का दूधवा खारा की वारिस जांच रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 30.06.2022, इन्द्रावती का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2022 की छाया प्रतियां पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थिनी की काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद से आदिनांक तक उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है तथा न ही उसके अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी न्यायालय को दी है। उसका कोई विधिक उत्तराधिकारी भी न्यायालय के समक्ष नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अवैट हो चुका है तथा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के इस प्रकरण की विवादित कृषि भूमि में प्रार्थिनी या उसके विधिक वारिसान का कोई हित या सम्बन्ध–सरोकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को अवैटमेण्ट एवं प्रकरण में कोई हित प्रभावित नहीं होने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पार्टी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर धारा 145–146 सी.आर.पी. सी. की कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।

पार्टी सं. 2 के अधिवक्ता ने इस सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि प्रार्थिनी की मृत्यु दिनांक 19.04.2022 को हो चुकी है इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उसके विधिक वारिस प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए हैं तथा विवादित कृषि भूमि में उसका या उसके वारिसान का किसी भी तरह से कोई हित प्रभावित नहीं होता है क्योंकि प्रार्थिनी की शामलाती कृषि भूमि ख.नं. 1023 में नहीं होकर ख.नं. 1012, 1013, 1024, 1377/1011 में स्थित है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अवैटमेण्ट एवं प्रकरण में कोई हित प्रभावित नहीं होने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पार्टी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर धारा 145–146 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों पर मनन किया जाकर पत्रावली व पेश दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पार्टी सं. 1 द्वारा पेश इन्द्रावती से सम्बधित दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उसकी मृत्यु दिनांक 19.04.2022 को हो चुकी है तथा उसकी संयुक्त खातेदारी की भूमि भी विवादित खसरा नं. 1023 से भिन्न खसरा नं. 1012, 1013, 1024, 1371/1011 में अवस्थित है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी का कोई हित प्रश्नगत भूमि में नहीं है। साथ ही उसकी मृत्यु को दो वर्ष से अधिक का समय होने के बाद भी उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है जिससे धारा 145–146 सी.आर. पी.सी. के इस प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र सारहीन व अवैट हो चुका है। अतः प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

हमने पार्टी सं. 1 व पार्टी सं. 2 की ओर से पेश राजीनामा, जांच रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू दिनांक 18.12.2024 एवं पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यापूर्वक अवलोकन किया। खेत ख.नं. 1023 वाके रोही कस्ब चूरू की तादादी में से ख.नं. 1024 के चिपते कुर्कशुदा कृषि भूमि उतरी भाग 100 फुट दक्षिणी भाग 76 फुट तथा पूर्वी भाग 530 फुट व पश्चिमी भाग 527 फुट कृषि भूमि जो अन्तर्गत धारा 146 सी.आर.पी.सी. इस न्यायालय द्वारा कानून व शान्ति व्यवस्था भंग होने का अन्देशा होने पर दिनांक 16.09.2016 को कुर्क कर थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू को रिसीवर नियुक्त किया था तथा थानाधिकारी ने दिनांक 20.10.2016 को इस भूमि को कुर्क कर कब्जा प्राप्त कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई थी। उसी समय से आज तक उक्त भूमि कुर्कशुदा व रिसीवर के कब्जे में चली आ रही है। दोनों पक्षों द्वारा पेश तस्दीकशुदा राजीनामा एवं जांच रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में ख.नं. 1023 की कुर्कशुदा कृषि भूमि के कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है व कब्जा सम्बन्धी कोई विवाद शेष नहीं रहा है। प्रश्नगत कृषि भूमि में कब्जा सम्बन्धित कोई विवाद शेष नहीं रहने से दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा होकर खून खराबा या शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की कोई सम्भावना वर्तमान में नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर परिवाद अन्तर्गत धारा 145, 145 सी.आर.पी.सी. का ड्रॉप करने योग्य है।

आदेश

अतः पार्टी सं. 1 व पार्टी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक आदेश दिनांक 16.09.2016 के द्वारा खेत ख.नं. 1023 वाके रोही कस्ब चूरू की तादादी में से ख.नं. 1024 के चिपते कुर्कशुदा कृषि भूमि उतरी भाग 100 फुट दक्षिणी भाग 76 फुट तथा पूर्वी भाग 530 फुट व पश्चिमी भाग 527 फुट कृषि भूमि को कुर्की व रिसीवरी से मुक्त किया जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चूरू को आदेशित किया जाता है कि उक्त कुर्कशुदा कृषि भूमि का कब्जा राजीनामा के अनुसार पार्टी सं. 1 महेशकुमार को सम्भला कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। उक्त राजीनामा भविष्य में आदेश व पत्रावली का भाग माना जावेगा।

आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र सिंह) R.A.S.
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
चूरू

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:55 IST
Reason: SelfAttested